

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली

पत्र संख्या-नि0-2/एन0ओ0सी0/

/2015-16 दिनांक 29/08/2016

विषय- प्रेस्टन इंटरनेशनल एकेडमी अमेरिया सलेमपुर काकोरी हरदोई रोड, लखनऊ को-
सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि शासनादेश
संख्या-1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं
को कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, (आई0सी0एस0ई0) नई दिल्ली/सेन्ट्रल
बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये
जाने के सम्बन्ध में आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ की अध्यक्षता में बॉय स्कूलेशन बैठक में लिये गये
निर्णय के अनुसार प्रेस्टन इंटरनेशनल एकेडमी अमेरिया सलेमपुर काकोरी हरदोई रोड, लखनऊ
को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति
प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नहीं है।

1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
पेशावी चर्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें 50प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक
शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से
अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं
के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते
नहीं दिए जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा-विनियमवली बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध
कराया जायेगा।
7. शासन, प्रशासन/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था
उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखे जायेंगे।
9. जनहित याचिका संख्या-483/2004 अखीश मेहता प्रति यूनिजन ऑफ इण्डियन व अन्य
में परि-मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय
द्वारा सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया
जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राक्खानित सुरक्षा मानकों के
अनुसूय है एवं उसमें अग्निशमन यंत्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अभिशमन उपायों
हेतु भत्तों-प्रति-प्रशिक्षित है।

Preston International Academy Lucknow
Dimple Waleel

PRINCIPAL
Preston International Academy
A-10, Sector-10, Gated Bellary Flyover
Mandla Road, Lucknow-226 967

Chand
-2
Sed...

10. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना सरथा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(दीप चन्द)

संयुक्त शिक्षा निदेशक
षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

पूरां-नि-2/एनओसीओ/ 4083-91 /2016-17 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. शिक्षा सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ।
3. जिलाधिकारी लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
7. प्रिन्सिपल, प्रेस्टन इंटरनेशनल एकेडमी अमेठिया सलेमपुर काकोरी हरदोई रोड, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल

Chand
(दीप चन्द) 29/6/16

संयुक्त शिक्षा निदेशक
षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

Principal

PRINCIPAL
Preston International Academy
Adjacent Kakori Railway Flyover
D-2, J Road, Lucknow-227107

Manager

MANAGER
PRESTON INTERNATIONAL ACADEMY
Adjacent Kakori Railway Flyover
Hardoi Road Lucknow-227107